



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238021
CG-DL-E-10082022-238021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3573]
No. 3573]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का. आ. 3741(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितम्बर, 2022 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम् और तूतुकुडी जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-38013/05/2022-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2022

S. O. 3741(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

Shall come into force in all the areas of Ramanathapuram and Sivagangai districts in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/05/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour And Employment Adviser